IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

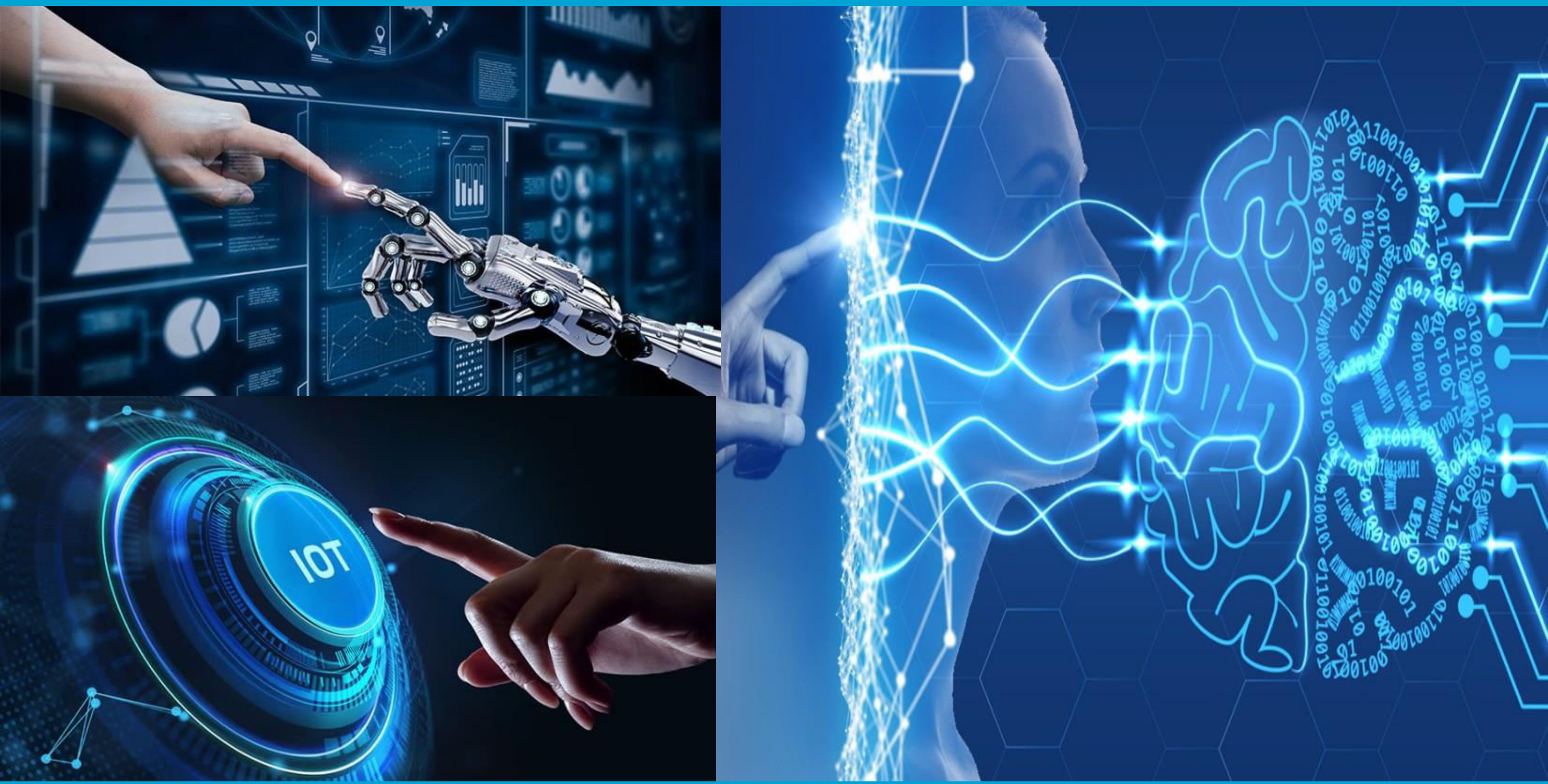

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 8, Issue 3, March 2021

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.580

+91 99405 72462 +9163819 07438 ijmrsetm@gmail.com www.ijmrsetm.com

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 3, March 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0803010|

भारत में कोयला खाने और खान श्रमिकों पर खतरा

डॉ. चन्द्र प्रकाश वर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल), हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , सोमेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

सार

देश के विभिन्न कोयला खदानों में लगभग 24 जानलेवा दुर्घटनाएँ और 47 गंभीर दुर्घटनाएँ हुई हैं. इसी तरह, 18 जानलेवा दुर्घटनाएँ और 13 गंभीर दुर्घटनाएँ गैर-कोयला खदानों में इस समय अवधि में हुई हैं. कोविड-19 के चलते आई आर्थिक मंदी के कारण इन खदानों में कम मांग और उत्पादन की आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुर्घटना के आंकड़े कम हैं. इसके अलावा, इस वर्ष के दुर्घटना के आंकड़े केवल 31 अगस्त तक के उपलब्ध हैं.

यह गौरतलब है कि 25 मार्च, 2020 से लागू किए गए लॉकडाउन की जद से कोयला और खनिज उत्पादन मुक्त था. गृह मंत्रालय (MoHA) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के खंड 5 में 24 मार्च, 2020 को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में बताया गया था. देश में COVID-19 महामारी के समाधान के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (संघ शासित प्रदेशों) के विभागों ने उल्लेख किया कि अपवादों के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. क) आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ; और ख) राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद उत्पादन इकाइयां जिनकी निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है. हालांकि, 25 मार्च, 2020 को दिशानिर्देशों का एक परिशिष्ट जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि खनन क्षेत्र और इससे संबंधित क्षेत्रों को लॉकडाउन में छूट दी.

यद्यपि सरकार ने खदानों और खतरनाक कारखदानों में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई है, आम तौर पर खदान और कारखदानों के श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, खतरनाक अधिनियम सहित खदान अधिनियम 1952 और फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 और उनके तहत बनाए गए नियम और कानून में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित होते हैं, खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और खदानों में कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बाद में बनाए गए नियमों और विनियमों के बावजूद, दोनों कोयला और गैर-कोयला खदानों में घातक और गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं.

अतारांकित प्रश्न संख्या 1156 (19 सितंबर, 2020 लोकसभा) का जवाब देते हुए, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने खुलासा किया कि 2015 से 2020 के बीच (31 अगस्त तक), कोयला खदानों में लगभग 304 जानलेवा दुर्घटनाएं और 1,333 गंभीर दुर्घटनाएँ हुई थीं. संसद में पूछे गए सवाल के उनके जवाब ने यह भी संकेत दिया कि 2015 और 2020 (31 अगस्त तक) के बीच, गैर-कोयला खदानों में लगभग 242 जानलेवा दुर्घटनाएं और 187 गंभीर दुर्घटनाएं हुई थीं.

परिचय

गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या के अलावा जानलेवा दुर्घटनाओं और मौतों और गंभीर दुर्घटनाओं के कारण होने वाले घायलों की संख्या पर राज्य-वार डेटा भी उपलब्ध है. राज्य-वार आंकड़े कोयला खदानों और गैर-कोयला खदानों यानी धातु और तेल खदानों दोनों के लिए उपलब्ध हैं.

कोयला खदानों के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़े दर्शाते हैं कि साल 2020 (31 अगस्त तक) में छत्तीसगढ़ (7) ओडिशा और तेलंगाना (5 प्रत्येक) और झारखंड (3) में जानलेवा दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतें सबसे अधिक थीं. साल 2020 (31 अगस्त तक) में कोयला खदानों में दुर्घटनाओं के कारण गंभीर रुप से घायल तेलंगाना (24) में सबसे अधिक थे, इसके बाद झारखंड (9) और पश्चिम बंगाल (6) में खदान दुर्घटनाओं में घायल हुए. चूंकि डेटा आधिकारिक है, इसलिए यह बहुत संभव है कि अवैध कोयला खदानों में दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों पर ध्यान नहीं दिया गया हो.

गैर-कोयला खदानों (यानी धातु और तेल) के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2020 के दौरान (31 अगस्त तक) जानलेवा दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतें राजस्थान और उत्तर प्रदेश (5 प्रत्येक) में सबसे अधिक थीं, इसके बाद आंध्र प्रदेश (3) और असम, केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा (2) में मौतें हुईं. 2020 के दौरान (31 अगस्त तक) गैर-कोयला खानों में दुर्घटनाओं के कारण गंभीर रूप से घायलों की संख्या राजस्थान (4) में सबसे अधिक थी, इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश (2 प्रत्येक) थे. चूंकि डेटा आधिकारिक है, इसलिए यह बहुत संभव है कि गैर-कोयला खदानों में दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों की गणना नहीं की गई है.[1]

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 3, March 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0803010|

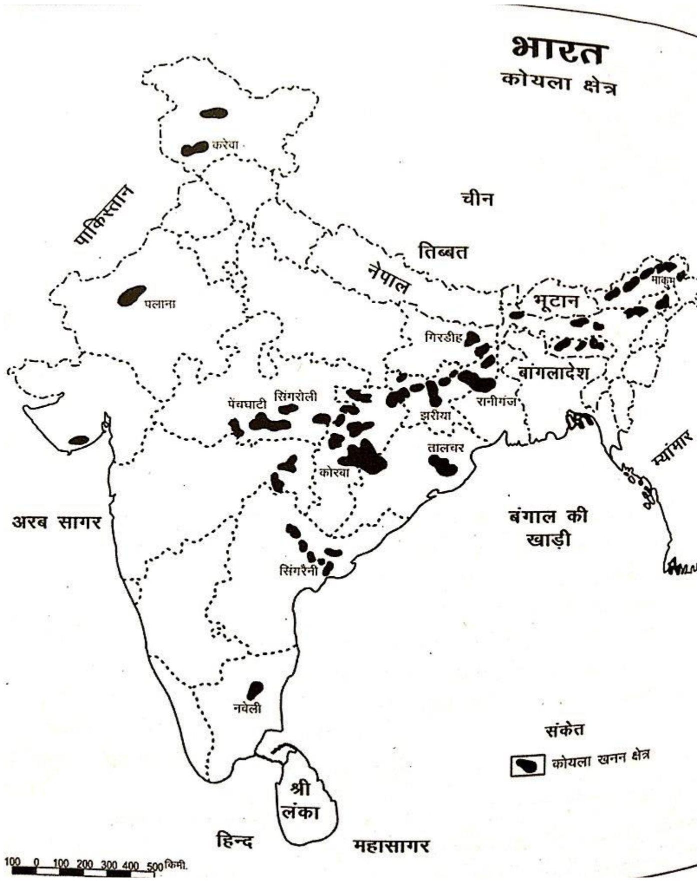

भारत कोयला क्षेत्र

व्यावसायिक स्वास्थ्य और खान श्रमिकों की सुरक्षा

अतारांकित प्रश्न संख्या 620 (16 सितंबर, 2020 को लोकसभा में उठाए गए प्रश्न) का जवाब देते हुए, संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री फहलद जोशी ने कहा कि विभिन्न कारणों के चलते कोयला खदान में काम करना गैर-कोयला खानों की तुलना में ज्यादा जोखिम भरा है (दुर्घटनाओं की संख्या के संदर्भ में),

1. भूमिगत कोयला खनन अधिक खतरनाक है और गैर-कोयला खानों व खुले में बनी खदानों की तुलना में भूमिगत खदान में भू-खनन की स्थिति पूरी तरह से अलग है. गैर-कोयला खदानें ज्यादातर खुले में होती हैं.

2. कोयले के उत्पादन की मात्रा और अधिक मांग को पूरा करने के लिए भूमिगत कोयला खानों में मशीनरी का इस्तेमाल गैर कोयला खानों की तुलना में भी अधिक है.

3. गैर-कोयला खदानों की तुलना में कोयला भूमिगत खदानों में कर्मचारियों को जोखिम / खतरे अधिक हैं.

कोयला खदानों में दुर्घटनाओं से बचने के लिए नवीनतम तकनीक के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क) जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) की तैयारी और कार्यान्वयन.

ख) ट्रिगर एक्शन रिस्पांस प्लान (टीएआरपी) के साथ-साथ प्रिंसिपल हैज मैनेजमेंट प्लान्स (पीएचएमपी) की तैयारी और कार्यान्वयन.[2]

ग) साइट-स्पेसिफिक रिस्क एसेसमेंट आधारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्माण और अनुपालन.

घ) खदानों का सुरक्षा ऑडिट आयोजित करना.

ड) विभिन्न सुरक्षा मापदंडों की निगरानी के लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत सुरक्षा निगरानी प्रणाली विकसित की गई है.

यह गौरतलब है कि खदान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) खदानों में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए खदान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का प्रबंधन करता है.

इसके अलावा, खदान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) खदान श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाता है:

(i) नियमित निरीक्षण किए जाते हैं और निरीक्षणों के दौरान टिप्पणियों के आधार पर, उल्लंघनों को इंगित करने, अनुमति वापस लेने, सुधार नोटिस जारी करने, रोजगार पर प्रतिबंध लगाने और कानूनन अदालत में मुकदमा चलाने जैसे कार्य श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं.

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 3, March 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0803010|

(ii) दुर्घटनाओं की जांच के आधार पर, दुर्घटनाओं के बारे में पूछताछ की जाती है, जैसे कि अपराधी को चेतावनी देने के लिए, प्रमाण पत्र का निलंबन, काम करने की विधि में संशोधन, वेतन वृद्धि को रोकने जैसे प्रबंधन द्वारा कार्रवाई, सेवा से बर्खास्तगी, दर्ज की गई चेतावनी, पदोन्नति पर रोक और कानूनन अदालत में मुकदमा चलाया जाता है.

(iii) नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस, नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स (माइन्स), ऑब्जर्वेंस ऑफ सेफ्टी वीक, सेफ्टी कैंपेन, वर्कशॉप्स करवाने, सेफ्टी कमेटी बैठकें आदि आयोजित करवाकर सुरक्षा प्रचार भी किया जाता है.

(iv) समय-समय पर, खदान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) परिपत्रों को चिन्हित खदान क्षेत्रों में सुरक्षित संचालन के लिए दिशानिर्देश के रूप में जारी किया जाता है.

(v) जोखिम मूल्यांकन तकनीकों और जोखिमों को दूर करने के लिए और काम करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करना.

(vi) खदानों में असुरक्षित प्रथाओं से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को लागू करना.

(vii) खदानों में सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के बीच सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

हालांकि खदान मंत्रालय द्वारा 24 अगस्त, 2020 को जारी किए गए नोटिस में विकास में तेजी लाने और रोजगार सृजन के लिए खनन सुधारों का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन इसमें खदान श्रमिकों के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है.

यह गौरतलब है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 13 केंद्रीय श्रम कानूनों (द माइन्स एक्ट, 1952 सहित) में प्रावधानों को सरल, तर्कसंगत और सम्मिलित करती है और कारखानों, खदानों, डॉक; संविदा कर्मी, प्रवासी श्रमिक और कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित कानूनों को शामिल करती है. इसके अलावा, सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति केवल व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों कोड के तहत 100 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली खदानों तक सीमित है. इसका मतलब है कि छोटे खदानों में कर्मचारियों (औपचारिक अनुबंधों के बिना किसी दस्तावेजी सबूत के अनौपचारिक सहित) को कोड के कवरेज से बाहर रखा गया है.[3]

हाल ही में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयला क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण सुधारों की घोषणा किया है। इसके तहत कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन को मंज़ूरी देने हेतु बनाई जाने वाली नीतियों पर ज़ोर दिया गया है और कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग की बात कही गई है। इस योजना के पहले चरण में 50 नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएँगे। सरकार ने कोयले के आयात में कमी लाने और स्थानीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के साथ 50 हजार करोड़ रुपए की लागत से कोयला क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास का लक्ष्य रखा गया है।

मुंह पर कपड़ा रखकर एक व्यक्ति हर दो-चार मिनट की अंतराल में बार-बार खांसता है। खांसी के साथ खून निकलती है, तो आंशका होती है कि व्यक्ति टीबी का मरीज हो सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं। संभव हैं कि मरीज को न्यूमोकोनियोसिस भी हो सकती है।

यह बीमारी कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों को होती है। बीमारी खतरनाक और जानलेवा है। समय पर इलाज नहीं होने से मरीज की मौत तक हो सकती है। लेकिन चौकाने वाली बात है कि इस बीमारी की जांच का दायरा सीमित है। कोयला खदानों में लगभग 15 हजार नियमित मजदूर काम करते हैं। ठेका मजदूरों की संख्या भी 10 हजार से अधिक है। कोयले की फेस पर लंबे अर्से तक काम के दौरान डस्ट से मजदूर को न्यूमोकोनियोसिस का खतरा रहता है। समय पर जांच में इसकी पुष्टि भी हुई है। लेकिन सही तरीके से इस बीमारी से ग्रसित मजदूरों की संख्या का आंकलन नहीं हो रहा है। बिजली संयंत्र हैं, जहां कोयले की बिजली तैयार होती है। कोयले की अनलोडिंग से कोल डस्ट उड़ता है। यहां काम करने वाले मजदूरों को सबसे अधिक न्यूमोकोनियोसिस का खतरा रहता है। (Mining Sector) में काम करने को सबसे ज्यादा खतरनाक और असुरक्षित माना जाता है. इस कारण यहां काम करने वाले खनिकों, मजदूरों और अन्य अधिकारियों की जान पर खतरा हमेशा ही बना रहता है. हर साल हजारों खनिकों की खदान (Mine) में फंसने या खदान के भीतर किसी अन्य दुर्घटना के चलते मौत हो जाती है. खनिकों को जहरीली मीथेन गैस (Methane Gas) और खदान में फंसने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी. ये मजदूर खदान (Mine) में 600 मीटर नीचे फंस गए. इस भयानक मंजर के बारे में सोच कर रूह कांप जाती है.[4]

विचार-विमर्श

पिछली दो शताब्दियों में पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल-रानीगंज बेल्ट में व्यापक स्तर पर कोयले का खनन होता रहा है। भारत में कोयले का व्यावसायिक स्तर पर खनन आज के आसनसोल जिले के रानीगंज ब्लॉक में साल 1774 में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में कोयला खनन की निजी कंपनियों के अलावा कोल इंडिया लिमिटेड के मालिकाना हक वाली कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा संचालित कुल 107 सरकारी कोयला खदाने हैं। आईसीएमएल का यह प्रोजेक्ट खास है, क्योंकि यह पहला ऐसा निजी कोयला खदान है जिसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए होता है।

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 3, March 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0803010|

सितंबर 1997 में, आईसीएमएल ने 10 गांवों के लोगों की जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए पहला नोटिस दिया। साल 2002 में आईसीएमएल ने आरपी संजीव गोयनक ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन (सीईएससी) के पावर प्लांट को कोयला सप्लाई करने के लिए अपनी खदान में काम शुरू कर दिया।
आईसीएमएल के मुताबिक, 613 हेक्टेयर जमीन वाली एक खदान में "जमीन के नीचे 170 मीटर तक की खुदाई का काम होता है और हर साल 1.8 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन होता है"। कंपनी इस खदान को क्षेत्र की सबसे सुरक्षित खदान होने का दावा और इस पर गर्व करती है, क्योंकि साल 2019 में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के 'सालाना सुरक्षा सप्ताह' में इस खदान को 13 पुरस्कार मिले थे।[5]

हालांकि, आसपास के इलाकों रखाकुरा, दिघुली, रशूनपुर, जमग्राम, मदनपुर, आनंदग्राम और सरिसतौली गांवों के लोग इसके इतर अलग ही कहानी बयां करते हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में, आईसीएमएल के बुरे प्रभाव झेल रहे लोगों ने नौकरी, पुनर्वास से जुड़े झूठे वादों और स्थानीय विकास के दावों की पोल खोल दी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, बाराबनी में आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 43 प्रतिशत और जमुरिया में लगभग 39 प्रतिशत है।

कोलकाता स्थिति आईसीएमएल के मुख्य दफ्तर में कई बार फोन करने के बावजूद कोई भी अधिकारी हमसे बात करने को तैयार नहीं हुआ। ऑफिस के ईमेल पर भी सवाल भेजे गए, लेकिन खबर को प्रकाशित किए जाने तक, हमें कोई जवाब नहीं मिल सका है। आईसीएमएल की ओर से कोई भी जवाब मिलने पर इस स्टोरी को अपडेट किया जाएगा।

भारत में ऊर्जा के स्रोतों में कोयला प्रमुख है। देश की ऊर्जा से जुड़ी ज़रूरतों का 55 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ़ कोयले से ही पूरा होता है। साल 2020-21 में भारत में 71.60 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ। कोयले की वजह से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए, भारत आने वाले समय में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है।[6]

मौजूदा समय में भारत में काम कर रहे थर्मल पावर प्लांट 1.1 गीगाटन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन हर साल करते हैं। यह पूरी दुनिया में होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 2-5 प्रतिशत है।

पश्चिम बंगाल सरकार, बीरभूम जिले में स्थित देओचा पचामी क्षेत्र जो कि एशिया के सबसे बड़ा कोयला रिजर्व है, में एक खदान शुरू करने के बारे में सोच रही है। इस बीच आईसीएमएल की सरिसितोली खदान में ओपन कास्ट माइनिंग को लेकर आसनसोल के लोगों का अनुभव एक चेतावनी दे रहा है। रखाकुरा गांव के निवासी मंसूर आलम कहते हैं, 'एक बोवाल (उपजाऊ जमीन) के लिए हमें 18,000 रुपये, कनाली (औसत गुणवत्ता वाली जमीन) के लिए 12,000 रुपये और डांगा (खराब जमीन) के लिए 6000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से दिए गए थे।' मंसूर आगे कहते हैं, 'उन्होंने (आईसीएमएल) ने वादा किया था कि अगर हम खदान के लिए छह बीघा या उससे ज़्यादा जमीन देते हैं, तो परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे गांव के 100 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कोलकाता को रौशन करने के लिए हमारी जमीनें खोद डालीं। ये किस तरह का विकास है?'

आलम के पड़ोसी नेपाल बौरी कहते हैं कि पहले इस इलाके में रोजी-रोटी का मुख्य ज़रिया खेती था, लेकिन 'आईसीएमएल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।' नेपाल आगे कहते हैं, 'मैं जमीदार की जमीन पर काम करता था। अब उनके पास जमीन नहीं है और मेरे पास कोई काम नहीं है'।

आईसीएमएल खदान में पक्की नौकरी पाने में कामयाब रहे लोग भी अब बिगड़ते हालात की चर्चा करते हैं। मुजीबुर कहते हैं, 'जब मैंने नौकरी शुरू की थी, तब मेरे सैलरी लगभग 14,000 रुपये थी, अब यह घटकर 8,000 रुपये हो गई है।' मुजीबुर के परिवार ने 28 बीघा जमीन दी है और बदले में उन्हें दो लाख रुपये और दो नौकरियां मिली हैं।

जमीन चली जाने और रोजगार के अभाव की इस दोहरी मार की वजह से इलाके में व्यापक स्तर पर पलायन हुआ है। बर्धवान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राखी मंडल और बिस्वरंजन मिस्त्री ने साल एक रिसर्च पेपर में लिखा, 'पिछले 50 सालों में विकास से जुड़े प्रोजेक्ट जैसे कि बांध निर्माण, खदानों का विकास, औद्योगिक विकास और वाइल्ड लाइफ सैंक्चरी स्थापित किए जाने की वजह से पूरे भारत में 2.13 करोड़ लोगों का पलायन हुआ है। '

रानीगंज कोलफील्ड इलाके की जमीनी हकीकत के हिसाब से इन प्रोफेसर ने अपने रिसर्च पेपर में लिखा, 'औद्योगिक विकास के बाद खदान से जुड़े काम, लोगों के पलायन की दूसरी सबसे बड़ी (12%) वजह हैं।' इन प्रोफेसर ने अपने अध्ययन का केंद्र रानीगंज में स्थित सोनेपुर-बजारी ओपेन कास्ट कोयला खदानों पर रखा। इसमें आईसीएमएल खदान शामिल नहीं है।[7]

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 3, March 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0803010|

साइकल और मोटरसाइकल पर कोयले के बोरे ढो रहे लोगों की ओर इशारा करते हुए 54 साल के नेपाल बौरी कहते हैं, 'लोगों ने अपना घर चलाने के लिए नए-नए तरीके खोज निकाले हैं। इन साइकल और मोटरसाइकल पर आम तौर पर लोग 150 किलो कोयले से भरे बोरे लादकर लाते ले जाते हैं। नेपाल कहते हैं, 'कोयले का अवैध कारोबार बहुत फला-फूला है। आखिर लोग और करें भी क्या? खेती अब कोई विकल्प बचा नहीं है, आईसीएमएल हमें नौकरी देगा नहीं और नई उम्र के लोग इतने पढ़े-लिखे भी नहीं हैं कि वे नौकरी की तलाश में कहीं बाहर जा सकें।'

प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आसनसोल-रानीगंज इलाके में कोयले की 3,500 अवैध खदाने चलती हैं और लगभग 35,000 से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर इनमें काम करते हैं। वहीं, 40,000 अन्य लोग परोक्ष तौर पर इससे रोजगार पाते हैं।

आईसीएमएल ने अपनी खुली खदानें बनाने के लिए मिट्टी खोदी और उसे बाहर छोड़ दिया। लोग इसी मिट्टी में कोयला ढूंढने लगे। औद्योगिक प्रोजेक्ट की वजह से प्रभावित लोगों के हक के लिए काम करने वाली पर्यावरण संस्था प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स असोसिएशन (पीएपीए) से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ता मानिक बौरी समझाते हैं, 'स्थानीय महिलाएं और बच्चों ने मिट्टी में यह कोयला खोजना शुरू किया। ये लोग कोयले के टुकड़े अपने घर उठा ले जाते हैं।' पुरुषों ने इस कोयले को पैक करना और बाजार में भेजना शुरू कर दिया है।

मानिक बौरी बताते हैं कि सड़कों की हालत खराब होने की वजह से, आईसीएमएल के ओवरलोड ट्रकों में से कोयले के टुकड़े गिरते रहते हैं। इस कोयले को भी स्थानीय लोग इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अलावा ये लोग आईसीएमएल के गार्ड्स को रिश्वत देकर भी कोयला चुरा लाते हैं। रखाकुरा गांव के लगभग हर घर में कोयले से भरी बोरियां मिल जाएंगी। इसके अलावा, आम लोगों को कोयले से भरी बोरियां लाते और ले जाते भी देखा जा सकता है। भूगोल की जानकार श्रीनिता मंडल ने कहा कि कोयले की तस्करी के फलने-फूलने के पीछे पर्यावरण संकट के बाद सामाजिक-आर्थिक कारक भी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। 2017 में जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट में प्रकाशित अपने रिसर्च पेपर 'ट्राइबल डिस्पोजेशन थ्रू लैंड एक्विजिशन: अ स्टडी ऑफ ओपन कास्ट माइन इन वेस्टर बंगाल' में श्रीनिता ने कहा था, 'खनन सेक्टर के विस्तार की वजह से कृषि क्षेत्र सिमट गया, इस वजह से स्थानीय लोग दूसरे क्षेत्रों में नौकरी या रोजगार के लिए मजबूर हो गए। इस एकल उद्योग वाले क्षेत्र में इसके अलावा उनके पास विकल्प भी क्या था? यही कारण है कि वे खनन से जुड़े कामों में मजदूर के तौर पर काम करने लगे।'

मानिक बौरी कहते हैं कि बाराबानी और जमुरिया इलाके में कोयले से जुड़ी यह समानांतर अर्थव्यवस्था अब लोगों की ज़रूरत जैसी बन गई है। वह दावा कहते हैं, 'जब से खनन शुरू हुआ, इस क्षेत्र में कोयला ही सबकुछ है। आईसीएमएल ने वादा किया था कि लोगों की दैनिक ज़रूरतों के लिए कोयला उपलब्ध रहेगा, लेकिन वे अपना यह वादा निभाने में नाकाम रहे हैं।' मानिक आगे बताते हैं, 'न तो हमें आईसीएमएल का कोयला मिलता है और न हमारे पास इतने पैसे हैं कि गैस सिलिंडर खरीद सकें। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सरकार सोचती है कि कोयले से जुड़े माफियाओं को गिरफ्तार करके समस्या दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इससे लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है।'[8]

भारत में कोयले के खनन का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1774 में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन आरम्भ किया। इसके बाद लगभग एक शताब्दी तक खनन का कार्य अपेक्षाकृत धीमी गति से चलता रहा क्योंकि कोयले की मांग बहुत कम थी। किन्तु 1853 में भाप से चलने वाली गाड़ियों के आरम्भ होने से कोयले की मांग बढ़ गयी और खनन को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद कोयले का उत्पादन लगभग 1 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष हो गया। 19वीं शताब्दी के अन्त तक भारत में उत्पादन 6.12 मिलियन टन वार्षिक हो गया। और 1920 तक 18 मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक। प्रथम विश्वयुद्ध के समय उत्पादन में सहसा वृद्धि हुई किन्तु 1930 के आरम्भिक दशक में फिर से उत्पादन में कमी आ गयी। 1942 तक उत्पादन 29 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष तथा 1946 तक 30 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। भारत में विश्व का 4.7% कोयले का उत्पादन होता है। भारत सरकार ने भारत की निजी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया और दो चरणों में इसे पूरा किया। पहले कोककर कोयला खानों का 1971-72 में राष्ट्रीयकरण किया गया और 1973 में अकोककर कोयला खानों का। अक्तूबर, 1971 में कोककर कोयला खान (आपात प्रावधान) अधिनियम, 1971 में, राष्ट्रीयकरण किए जाने तक लोक हित में कोककर खानों और कोक ओवन संयंत्रों के प्रबंधन को अपने अधिकार में लेने का प्रावधान था। इसके बाद कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 बनाया गया जिसके अंतर्गत टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि. (टिस्को) और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि. (इस्को) के नियंत्रण से भिन्न कोककर कोयला खानों और कोक ओवन संयंत्रों का 1-5-1972 को राष्ट्रीयकरण किया गया और इनको केन्द्र सरकार के नये उपक्रम भारत कोकिंग कोल लि. के अधीन कर दिया गया। कोयला खान (प्रबंध को अधिकार में लेना) अधिनियम, 1973 नामक एक अन्य अधिनियम ने भारत सरकार को 1971 में अपने अधिकार में लिए गए कोककर कोयला खानों सहित सात राज्यों में स्थित कोककर और अकोककर कोयला खानों के प्रबंधन को अपने अधीन लेने का

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 3, March 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0803010|

अधिकार प्रदान किया। इसके बाद कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के बनने से 1-5-1973 को इन सभी खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

राष्ट्रीयकरण का कारण यह बताया गया था कि देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निजी कोयला खान मालिक पर्याप्त पूंजी निवेश नहीं कर रहे थे। उनमें से कुछ मालिकों द्वारा अपनाए गए अवैज्ञानिक खनन तरीकों और कुछ निजी कोयला खानों में मजदूरों की खराब कार्य-स्थिति सरकार के लिए चिंता के विषय बन गए थे।[1] भारत में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1970 के प्रारंभिक दशक में दो संबद्ध घटनाओं का परिणाम है। पहले उदाहरण में तेल की कीमत का सदमा, जिसने देश को अपनी ऊर्जा विकल्पों की खोज करने के लिए बाध्य कर दिया था। दूसरे, इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी निवेश की आवश्यकता थी जो कोयला खनन से आ नहीं सकता था क्योंकि यह अधिकांश निजी क्षेत्र के हाथों में था।

भारत में व्यावसायिक कोयला खनन की शुरुआत वर्ष 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसर्स सुमनेर और हीटली द्वारा दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित रानीगंज कोलफील्ड में की गई थी।शुरुआत में बाज़ार में कोयले का व्यापार बहुत व्यापक नहीं था परंतु 1853 में वाष्पचालित रेलगाड़ी के आने से कोयले की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, वर्ष 1900 तक आते-आते भारत में कोयला उत्पादन 6.12 मिलियन टन प्रतिवर्ष और वर्ष 1920 में यह 18 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुँच गया।प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कोयले के उत्पादन में तेज़ी आई परंतु 1930 के दशक के शुरूआती वर्षों में इसमें पुनः गिरावट देखने को मिली।वर्ष 1942 में देश में कोयले का उत्पादन 29 मिलियन टन प्रतिवर्ष और वर्ष 1940 में यह 30 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुँच गया।देश की स्वतंत्रता के पश्चात पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कोयला उत्पादन को 33 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया गया और इस दौरान कोयला उद्योग के क्रमिक और वैज्ञानिक विकास से कोयला उत्पादन को कुशलता पूर्वक बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई।वर्ष 1956 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (National Coal Development Corporation- NCDC) की स्थापना के साथ सरकार ने देश के कोयला खनन क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देना प्रारंभ किया। [9]

कोयला खनन क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी निवेश की कमी, निजी कंपनियों द्वारा खनन के अवैज्ञानिक तरीकों को अपनाने और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निजी कोयला खदानों के राष्ट्रीकरण का निर्णय लिया गया। इसके तहत वर्ष 1971-72 और 1973 में 'कोककर कोयला खान (आपात प्रावधान) अधिनियम, 1971' 'कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972' और 'कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973' के माध्यम से देश की सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकारण किया गया।विश्व में सबसे अधिक कोयला भंडार की उपलब्धता वाले देशों की सूची में भारत का 5वाँ स्थान है। वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष स्थानीय कोल उत्पादन लगभग 700-800 मिलियन टन है, जबकि प्रतिवर्ष औसतन लगभग 150-200 मिलियन टन कोयले का आयात किया जाता है। देश उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 50% से अधिक कोयला आधारित इकाइयों से ही आती है और अन्य कई औद्योगिक क्षेत्रों में कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। वर्ष 1973 में भारत में कोयले के राष्ट्रीकरण के बाद वर्ष 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited- CIL) की स्थापना की गई थी। वर्तमान में देश के कुल कोयला उत्पादन में कोल इंडिया लिमिटेड की भागीदारी लगभग 82% है। वर्ष 2006-07 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा CIL को 'मिनीरत्न' (Mini Ratna), वर्ष 2008-09 में 'नवरत्न' (Navratna) और अप्रैल 2011 में इसे 'महारत्न' (Maharatna) का दर्जा दिया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड के विश्व की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी होने के बावजूद भी वर्ष 2019 में भारत द्वारा विदेशों से 235 मिलियन टन कोयले का आयात किया गया था। देश में कोयले के राष्ट्रीयकरण के बाद CIL द्वारा समय के साथ कोयला खनन में नवीन तकनीक को शामिल न करने से खनन प्रक्रिया बहुत धीमी और बोझिल हो गई है। खनन प्रक्रिया में नई तकनीकों को बढ़ावा न देने से न सिर्फ कोयला खनन महँगा हुआ है बल्कि नवीन तकनीकों का अभाव ही खनन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण बनता है। कोयला खनन में एक ही कंपनी के सक्रिय रहने से खनन क्षेत्र के विकास की गति बहुत ही सीमित रही है।कोयले के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि न होने से CIL के राजस्व में कमी आई है, इससे सरकार के लिये देश के कोयला क्षेत्र के विकास हेतु बड़े पैमाने पर निवेश करना एक चुनौती रही है।कोयला खनन क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी न होने से इस क्षेत्र में होने वाला निवेश बहुत ही सीमित रहा है। पूर्व में भी देश के कोयला खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास किये गए हैं परंतु खदान आवंटन और उनके विनियमन से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी इस प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा रही है। कोयला क्षेत्र में नौकरशाही और भ्रष्टाचार के मामलों के कारण इस क्षेत्र का अपेक्षित विकास संभव नहीं हो सका है। इससे पहले भी देश में कोयला खनन में स्थानीय क्षमता को बढ़ाने और इसे किफायती बनाने हेतु कई प्रयास किये गए है परंतु वे इतने सफल नहीं रहे हैं।केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर कोयला खनन क्षेत्र में प्रतियोगिता और पारदर्शिता में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। कोयला क्षेत्र में 'प्रति टन उत्पादन पर पहले से निर्धारित शुल्क' के स्थान पर राजस्व साझा करने की प्रणाली (Revenue Sharing Mechanism) लागू करना। निजी कंपनियों के लिये खनन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये नियमों में ढील के साथ कंपनियों को कोयले की खोज में शामिल करने हेतु अन्वेषण-सह-उत्पादन (exploration-cum-production) के विकल्प की व्यवस्था। इस योजना के पहले चरण में तात्कालिक रूप से 50 नए ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएँगे साथ ही निजी कंपनियों को कोयला बेचने का अधिकार भी दिया जाएगा। निर्धारित समय से पहले खनन लक्ष्य प्राप्त करने वाली कंपनियों को राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा।

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 3, March 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0803010|

प्रस्तावित सुधारों के तहत राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण/द्रवीकरण (Gasification/Liquification) को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 1 बिलियन टन वार्षिक कोयला उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये केंद्र सरकार द्वारा कोयला खनन से जुड़ी आधारभूत संरचना के विकास हेतु 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।इस पहल के तहत खदानों से रेलवे लाइनों तक कोयले को आसानी से पहुँचाने के लिये 18,000 करोड़ के निवेश से कन्वेयर बेल्ट (Conveyor Belt) प्रणाली की स्थापना की जाएगी।प्रस्तावों के तहत CIL कोयला खदानों से 'कोल बेड मीथेन' (Coal Bed Methan-CBM) निष्कर्षण अधिकारों की नीलामी का निर्णय लिया गया है।कोयला खनन क्षेत्र में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिये खनन योजनाओं का सरलीकरण किया जाएगा। साथ ही कंपनियों को कोयला खनन हेतु नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिये खनन क्षेत्र में अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। प्रस्तावित सुधारों के तहत खनन कंपनियों को बिना किसी अनुमति के अपने वार्षिक उत्पादन को 40% तक बढ़ाने की छूट होगी। [10]
इसके साथ ही गैर-विद्युत उपभोक्ताओं के लिये नीलामी के समय आरक्षित मूल्यों, ऋण की शर्तों में ढील देने जैसी सुविधाएँ देने का प्रस्ताव किया गया है।कोल बेड मीथेन (सीबीएम), प्राकृतिक गैस का एक गैर-परंपरागत स्रोत है जो कोयले के भंडार में पाई जाती है।एक अनुमान के अनुसार, भारत के 12 राज्यों में लगभग 92 खरब घन फुट (2600 अरब घन मीटर) CBM उपलब्ध है। देश में CBM की उपलब्धता और एक ऊर्जा स्रोत के रूप में इसकी उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने वर्ष 1997 में सीबीएम नीति (CBM policy) जारी की थी, इसके अनुसार 'तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) अधिनियम 1948'और 'पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959' के प्रावधानों के तहत देश में CBM का अन्वेषण और दोहन किया जा सकता है।

परिणाम

कोयला खनन क्षेत्र में लंबे समय एक ही कंपनी (CIL) के एकाधिकारी और प्रतिस्पर्द्धा के कारण देश में कोयला उत्पादन में विशेष वृद्धि नहीं हुई है।कोयला खनन में निजी कंपनियों को बढ़ावा देने से प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ कम कीमत पर कोयले की आपूर्ति की जा सकेगी और औद्योगिक क्षेत्र में कोयले की मांग के लिये निर्यात पर निर्भरता भी समाप्त होगी।फिक्स्ड रेवेन्यू (Fixed Revenue) की व्यवस्था में बाज़ार में कोयले के मूल्य में गिरावट आने से उत्पादक कंपनियों को भरी क्षति होती है जिसका प्रभाव सरकारी लाभ पर भी पड़ता है, राजस्व साझा करने की प्रणाली (Revenue Sharing Mechanism) लागू करने से सरकार के राजस्व में वृद्धि के साथ निजी कंपनियों और सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।कोयला के गैसीकरण/द्रवीकरण (Gasification/Liquification) जैसी तकनीकों को अपना कर कोयले के कारण प्रकृति को होने नुकसान में कमी होगी।यदि कोयला के गैसीकरण की प्रक्रिया में अपेक्षित प्रगति होती है तो इससे देश में प्राकृतिक गैस के आयात में भी कमी आएगी। कोयले के उत्पादन में वृद्धि के साथ उसकी खपत के लिये परिवहन की एक मज़बूत आधारभूत संरचना का होना बहुत ही आवश्यक है, सरकार द्वारा कोयला खनन से जुड़ी आधारभूत संरचना के विकास हेतु 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से कोयले की आपूर्ति को सुगम बनाया जा सकेगा तथा इससे रेलवे की आमदनी में भी वृद्धि होगी। राज्यों का सहयोग: संविधान की सातवीं अनुसूची में खनिज पदार्थों को समवर्ती सूची में रखा गया है, वर्तमान में प्रत्येक राज्य में कोयला उत्पादन और राजस्व निर्धारण हेतु मानकों में भारी असमानता है। अतः प्रस्तावित सुधारों के बेहतर क्रियान्वयन के लिये अलग-अलग राज्यों के मानकों में समानता लाना बहुत ही आवश्यक होगा। श्रमिक के हितों की रक्षा: वर्तमान में भारतीय कोयला क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से 2.7 लाख (CIL, मार्च 2020) से अधिक लोगों और अप्रत्यक्ष रूप से भी एक बड़ी आबादी को रोज़गार उपलब्ध करता है। वर्ष 1973 में कोयला कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का एक बड़ा कारण श्रमिकों के अधिकारों का हनन भी था अतः कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा देते हुए सरकार को श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देनी होगी। पर्यावरण प्रदूषण: कम लागत और उपलब्धता के हिसाब से कोयला भारत की वर्तमान ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने का एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है परंतु यह पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी है, ऐसे में कोयला उत्पादन को बढ़ावा देना पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के विपरीत होगा। [11]

आर्थिक दबाव: हाल के वर्षों में विद्युत् क्षेत्र की कंपनियों के राजस्व में गिरावट एक चिंता का विषय बना हुआ था परंतु COVID-19 की महामारी के कारण आने वाले दिनों में अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी ऊर्जा की मांग में गिरावट आ सकती है, जो कोयला क्षेत्र के विकास में रूकावट का कारण बन सकता है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी विनिर्माण और निर्यात क्षमता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु स्थानीय स्तर पर ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना एवं इसकी लागत में कमी लाना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान में भारत में विश्व का 5वाँ सबसे बड़ा कोयला भंडार है, कोयला क्षेत्र में अन्य उद्योगों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के साथ बड़ी मात्रा में रोज़गार सृजन की भी संभावनाएं हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाना बहुत ही आवश्यक है परंतु वर्तमान में परिस्थिति में देश की कुल ऊर्जा ज़रूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ कोयला खनन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।[12]

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 3, March 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0803010|

निष्कर्ष

साल 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी) की घोषणा के बाद से ही भारतीय और वैश्विक स्तर के निजी क्षेत्र की कंपनियों के कोयले के खनन क्षेत्र में आने से कोयले की खदान वाले क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी दूभर होती गई है। कुंतल नीति निर्माताओं से कहती हैं कि कोयले की किसी भी खदान को निजी क्षेत्र के हवाले करने से पहले 'खदान वाले क्षेत्र में सामाजिक असलियत को समझें'। वह आगे कहती हैं कि एनएमपी ने 'सामाजिक प्रभावों के मूल्यांकन की ज़रूरतों और संभावनों को कम कर दिया है।'

मानव वैज्ञानिक समरेंद्र दास और फेलिक्स पैडेल ने अपनी किताब 'आउट ऑफ दिस अर्थ: ईस्ट इंडिया आदिवासी ऐंड अल्युमिनियम कार्टेल' में पूरे भारत में खनन क्षेत्र से जुड़े निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों और एनएमपी के लिंक को समझाया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, 'नई खनिज नीति का लक्ष्य खनन को प्रोत्साहित करना और खनिज की खोज के साथ-साथ असल में खनन शुरू करने की प्रक्रिया को तेज करना है। नीति के मुताबिक, खनन कंपनियों के लिए सरकार का रोल 'मददकर्ता' का है और उसे सीधे तौर पर इसमें शामिल होने से दूर ही रखा गया है, ताकि प्रक्रिया उदारवादी बनी रहे।'[13]

रशूनपुर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर हमसे बात की और कहा, 'अगर उन्हें स्थानीय हकीकतों के बारे में पता होता, तो उन्होंने हमारे लिए सुरक्षित स्थानों पर घर का इंतजाम किया होता क्योंकि हमारे घर टूट गए हैं। हमें इस आईसीएमएल प्रोजेक्ट से कुछ भी नहीं मिला। इसने हमसे सबकुछ छीन लिया।' इसी के बारे में मानिक बौरी कहते हैं कि आईसीएमएल ने जमीन पर कोई ठीक सामाजिक या पर्यावरणीय मूल्यांकन नहीं कराया। मानिक आगे कहते हैं, 'उन्होंने स्थानीय लोगों को सीधे नोटिस और आदेश थमा दिए। पंचायत या ब्लॉक के स्तर पर भी किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई।'

सही तरीके से कोई मूल्यांकन रिपोर्ट न तैयार किए जाने की वजह से उन लोगों का पुनर्वास नहीं हो पा रहा है जिनके घर कोयले की खदान में विस्फोट की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए। मैप वर्ल्ड फोरम रिसर्च पेपर के मुताबिक, खनन से जुड़ी गतिविधियों जैसे कि जमीन के नीचे विस्फोट की वजह से आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में लगभग 43% घर ऐसे हैं जिनमें दरारें आ गई हैं या किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचा है।

बाराबानी के बीडीओ सुरजीत घोष बताते हैं कि केंद्र सरकार से ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद ही आईसीएमएल अपना काम कर रही है। लोगों के इस दावे कि कंपनी ने अपने ईआईए को फेरबदल कर दिया है, के बारे में सुरजीत घोष कहते हैं, 'मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारा कोई रोल है। ये सब तो पर्यावरण मंत्रालय और आईसीएमएल के बीच की बात है। वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी अनुमति केंद्र सरकार ने दी है।'

इस बारे में बात करने के लिए हमने पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय दफ़्तर (आरओ) और भुवनेश्वर में बैठने वाले क्षेत्रीय अधिकारी संदीप नंदी को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बता दें कि पश्चिम बंगाल इसी क्षेत्रीय दफ़्तर के कार्य क्षेत्र में आता है। हमने पर्यावरण मंत्रालय के अडिशनल प्रिंसिपल चीफ़ सेक्रेटरी ऑफ़ फॉरेस्ट्स, आर के डे को ईमेल करके इन आरोपों के बारे में उनकी टिप्पणी मांगी है कि आईसीएमएल ने जमीन पर पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन नहीं है। उनकी ओर से जवाब मिलने पर इस स्टोरी को अपडेट किया जाएगा।[14]

पहचान छिपाने की शर्त पर हमसे बात करने वाले रशूनपुर गांव के निवासी ने बताया, 'सरिसतोली खदान में धमाके की वजह से कई घर टूट-फूट गए थे। इसके बाद, प्रभावित लोगों के लिए आईसीएमएल ने क्वार्टर तैयार किए। लेकिन उन एक मंजिला घरों पर टिन शेड नुमा पक्की छतें ढाल दी गईं, इस वजह से लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।' इस शख्स ने आगे बताया, 'लोगों ने उनसे कहा कि समतल छतों वाले घर दिए जाएं, ताकि उन पर और मंजिलें भी बनाई जा सकें, लेकिन आईसीएमएल ने एक नहीं सुनी। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं किया है। अब सैकड़ों घर खाली पड़े हैं और हम यहां बड़ी सी खुली खदान के बगल में रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें आईसीएमएल का कितना नुकसान हुआ है।'

दूसरी तरफ, चुरुलिया ग्राम पंचायत के वाइस चेयरमैन और तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रदीप कुमार मुखर्जी आईसीएमएल की ओर से दिए गए घर को स्वीकार न करने के लिए लोगों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। प्रदीप का कहना है, 'उनकी मांग में कोई तर्क ही नहीं है। हमें नहीं लगता कि उन क्वार्टर में किसी भी प्रकार की दिक्कत है। हम जानते हैं कि जब किसी भी क्षेत्र में खनन होता है, तो दिक्कतें आ सकती हैं। लोगों को अब तक अडजस्ट कर लेना चाहिए था।'

खदानों से सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं हुई हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इससे पहले, इस क्षेत्र में खेती और जंगल आधारित आजीविका प्रचलित थी और महिलाएं इन कामों में लगी रहती थीं। हालांकि, जब से आईसीएमएल का प्रोजेक्ट यहां शुरू हुआ है,

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 3, March 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0803010|

महिलाएं को दूसरे कामों की तलाश करनी पड़ रही है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कि बाराबानी क्षेत्र में साल 2001 में महिला मजदूरों की संख्या 6078 थी जो 2011 में बढ़कर 7219 हो गई, लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि कई महिलाएं अब अवैध ईंट भट्टों या कोयला खदानों में सस्ते मजदूर के तौर पर काम करती हैं जो कि बेहद असुरक्षित और नुकसानदायक हालात वाला है।

मंसूर आलम कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आईसीएमएल ने अपना वह वादा नहीं निभाया जिसके तहत महिलाओं को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जानी थी। मंसूर आगे कहते हैं, 'आईसीएमएल ने हमसे वादा किया किया था कि हमारी महिलाओं को व्यावसायिक कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वे दूसरे रोजगार शुरू कर सकें, लेकिन ये सब एक भद्दा मजाक साबित हुआ। पहले महिलाएं खेती के काम में लगी थीं, लेकिन आईसीएमएल के आने के बाद उन्हें खेतों और जंगलों में जो काम मिलता था वो भी खत्म हो गया। पुरुष तो आसनसोल, बर्धमान, और पास के दूसरे शहरों की फैक्ट्रियों या अन्य जगहों पर काम के लिए चले गए, लेकिन महिलाएं ज़्यादातर अवैध ईंट उद्योंगों में काम करती हैं। इसके अलावा, जिनको कोई काम नहीं मिल पाता है उनके लिए कोयले से जुड़ा कोई न कोई काम तो है ही।'

चुरुलिया ग्राम पंचायत के प्रदीप मुखर्जी इस दावे को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि आईसीएमएल की ओर से महिलाओं को 'हथकरघा और सिलाई' जैसे कई व्यासायिक कोर्स की ट्रेनिंग दी गई है। वह आगे कहते हैं, 'रखाकुरा, आनंदपुर और अन्य कई गावों की महिलाओं को ट्रेनिंग मिली है और वे अपने रोजगार कर रही हैं। मुझे नहीं पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) की सरकार के समय कंपनी ने कैसे काम किया, लेकिन 2011 के बाद से आईसीएमएल ने लोगों को कई फायदे दिए हैं।'

रखाकुरा गांव की निवासी मजगुरा बीबी कहती हैं कि वह पक्की नौकरी की हकदा हैं, लेकिन सिर्फ़ एक महिला को नौकरी मिली है। वह बताती हैं, 'मेरे पिता ने 6 बीघे से ज़्यादा जमीन दी थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उन्होंने (आईसीएमएल के अदिकारियों ने) कोई कारण भी नहीं बताया। अब मेरे बेटे कोयले के अवैध डंपरों में काम कर रहे हैं। आज तक आईसीएमएल ने दूसरी किसी भी महिला को अपनी खुली खदान के लिए नौकरी नहीं दी है। यही वजह है कि महिलाओं के पास अवैध ईंट उद्योंगों में काम करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।'[15]

दुर्गापुर गर्वनमेंट कॉलेज की प्रोफ़ेसर देबलीना कार और देबनाथ पालित के मुताबिक, आसनसोल सब डिवीजन और आसपास के इलाकों के 69% लोगों का मानना है कि आय के लिए दूसरे वैकल्पिक स्रोत तलाशना ही उनके लिए एकमात्र विकल्प है। रानीगंज कोलफ़ील्ड इलाके में सर्वे करने के बाद प्रोफ़ेसर देबलीना और देबनाथ ने 2014 के अपने एक रिसर्च पेपर में लिखा था कि स्थानीय लोगों के लिए ईंट उद्योगों में काम करना पहली पंसद बन गया, क्योंकि 'अगर कोई विकल्प मौजूद होता है, तो उस हालत में कोयले से जुड़े कामों को आय के स्रोत में बहुत कम तरजीह दी जाती है।'

नतीजा यह रहा कि इस इलाके में सैकड़ों अवैध ईंट उद्योग स्थापित हो गए हैं। साल 2017 की एक बंगाली न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ़ आसनसोल सब डिवीज़न में ही ऐसे 600 अवैध ईंट उद्योग काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब यह संख्या 1000 के आसपास पहुंच गई है। बाराबानी ब्लॉक के बौरी पाड़ा गांव में रहने वाली 60 साल की कालो मोनी पास के ही एक ईंट उद्योग में काम करती हैं। वह कहती हैं, 'हमारे पास ईंट उद्योग में काम करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमें यहां दूसरा कोई काम भी नहीं मिलता है।' कालो मोनी यह नहीं जानतीं कि वह जिस ईंट उद्योग में काम करती हैं, वो अवैध है या नहीं, लेकिन वह इतना कहती हैं कि 'मेरा ठेकेदार मुझे सही समय पर पैसे देता है।'

बाराबानी के बीडीओ सुरजीत घोष ने क्षेत्र में लगातार बढ़ते अवैध ईंट उद्योग के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कालो मोनी को राज्य सरकार की ओर से विधवा पेंशन भी मिलती है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके घर में गैस सिलिंडर नहीं है। यही वजह है कि वह खाना बनाने के लिए स्थानीय लोगों से कोयला खरीदती हैं। यह कोयला वे लोग तस्करों से खरीदते हैं।

जैसा कि बौरी पाड़ा गांव का नाम ही बताता है कि यह बौरी जाति के लोगों का गांव है। भारत की जाति व्यवस्था में यह जाति निचले पायदान पर आता है। अन्य अनुसूचित जातियों की तरह ही बौरी जाति के लोग भी कई पीढ़ियों से गरीब रहे हैं। ये लोग बाराबानी रेलवे स्टेशन के बगल में आईसीएमएल की जगहों पर रहते हैं। इन्हीं जगहों से कंपनी का कोयला पश्चिम बंगाल के दूसरे भागों में भेजा जाता है। बौरी पाड़ां के लोग न सिर्फ़ पैसों की कमी और सामाजिक समस्याओं से जूझते हैं बल्कि भयानक स्तर का प्रदूषण भी इनके लिए बड़ी समस्या है।

आईसीएमएल का साइडिंग एरिया और बौरी पाड़ा को अलग करने के लिए के बीच में ईंट की एक टूटी-फूटी दीवार है। ऐसा ही कुछ रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ भी है। स्थानीय लोग यहां के निवासियों की जाति के हिसाब से इस इलाके को 'चमार पाड़ा' कहते हैं, जो कि

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 3, March 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0803010|

अनुसूचित जाति का ही एक हिस्सा हैं। इन लोगों के इलाके और 24 घंटे चलने वाले कोल डंपर के बीच भी एक ऐसी ही ईंट की दीवार है।[13]

बौरी पाड़ा में रहने वाले चंदन ने बताया, 'यहां के पेड़ों का रंग भी काला पड़ गया है। यहां पत्तियां भी ढंग से नहीं बढ़ती हैं। यहां तक कि हमारे घरों के अंदर की चीजें भी काली पड़ जाती हैं। हम कोयले में ही सांस लेते हैं। इस सबके बावजूद किसी ने आईसीएमएल के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की है। जब से आईसीएमएल ने यहां काम शुरू किया, तब से ही हम और चमार पाड़ा के लोग यहां काम कर रहे हैं।'

यहां मुस्लिम, सवर्ण बरनवाल और अन्य गैर बंगाली जातियों के लोगों की बस्तियां भी हैं, लेकिन वे कोयले के कहर से काफ़ी हद तक बच जाते हैं क्योंकि बौरी पाड़ां और चमार पाड़ा एक तरह से बफ़र का काम करते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की शर्मिला चंद्रा साल 2015 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एन्वायरनमेंटल प्लानिंग ऐंड मैनेजमेंट में प्रकाशित अपने रिसर्च पेपर 'द वलनरेबल माइनिंग कम्युनिटी' में कहती हैं कि भारत में खनन क्षेत्र से सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब और आदिवासी लोग हैं।

माइन्स, मिनरल्स ऐंड पीपल (एमएमऐंडपी), 'खनन के प्रभावों से चिंतित व्यक्तियों, संस्थाओं और समुदायों' का एक समूह है। इसी से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ता स्वराज दास कहते हैं, 'कोयले की खदानों और साइडिंग के आसपास के गांवों में रहने वाले कई लोग फेफड़े से जुड़ी गंभीर बीमारियों से जूझते हैं। स्थानीय अस्पतालों या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बैठने वाले डॉक्टर के पास पर्याप्त उपकरण नहीं होते हैं कि वे इनसे जुड़ी बीमारियों का पता लगा सकें। इसी वजह से लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि वे उनकी सेहत को कितना बड़ा खतरा है। नतीजतन, वे इसका कोई सही इलाज भी नहीं करा पाते हैं।'

स्वराज दास आगे कहते हैं, 'बाराबानी में आईसीएमएल साइडिंग के पास प्रदूषण का स्तर बर्दाश्त के बाहर है। लोग लगातार कोयले वाली सांसें ले रहे हैं और आईसीएमएल को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वे जो भी कर रहे हैं वह पूरी तरह से गैर-कानूनी है।' दिघुली गांव के रहने वाले एक शख़्स ने कहा, 'हम में से ज़्यादातर लोगों को अस्थमा है। हर घर में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है, जिसे सांस लेने में परेशानी होती है।'[14]

इस सबके अलावा, जल प्रदूषण और भूजल की कमी की वजह से स्थानीय लोगों की समस्या बढ़ गई है। बौरी पाड़ा के चंदन कहते हैं, 'यहां के 150 परिवारों के लिए पानी की सिर्फ़ एक टोंटी चालू है। पानी सुबह 7 से 9 के बीच सिर्फ़ दो घंटे के लिए ही आता है। आप बताइए कि क्या सिर्फ़ इतने कम समय में इतने सारे लोगों के लिए पूरे दिन भर का पानी इकट्ठा किया जा सकता है?'

ऊपर जिस वर्ल्ड मैप फोरम के रिसर्च पेपर की बात की गई है, उसके मुताबिक जमीन के नीचे खनन की वजह से स्थानीय कुओं और तालाबों में पानी का स्तर काफी कम हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक, आसनसोल के 31.25% और रानीगंज के 32% परिवार पीने के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं।

मानिक बौरी कहते हैं, 'पहले पानी 40-50 फीट पर ही मिल जाता था। अब तो 100-150 फीट पर भी पानी मिलना मुश्किल है।' चुरुलिया ग्राम पंचायत के प्रदीप मुखर्जी इस बात से सहमत नहीं हैं कि यहां पीने के पानी की कोई समस्या है। वह कहते हैं, 'हमने लगभग हर गांव में पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। हां, कुछ गांवों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन हम इस बारे में काम कर रहे हैं। यहां पानी कोई बड़ां मुद्दा नहीं है।'

कोयले की खदानों की वजह से पारिस्थितिकी से जुड़ी अन्य समस्याओं का हवाला देते हुए मैप वर्ल्ड फोरम के रिसर्च पेपर में कहा गया कि लगातार खनन और गड्ढे बनाने से जंगल और खेती खराब हो गई है। इलाके में जैव विविधता कम हुई है, जमीन पर कचरा पड़ा हुआ है और समय के साथ जमीन के उर्वरता कम होती जा रही है।

रशूनपुर गांव के रहने वाले शख़्स ने कहा कि पहले आईसीएमएल की खदान के एक तरफ जंगल हुआ करता था, जहां पहले तेंदुए भी देखे जाते थे। वह कहते हैं, 'जंगह में महुआ के कई पेड़ थे और हजारों लोगों का जीवन उन पर निर्भर था। आईसीएमएल ने मुआवजे के रूप में पेड़ लगाने का भी वादा किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया।'[15]

संदर्भ

1. "कोयला ऊर्जा के विकल्प के रूप में". मूल से 6 जुलाई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 सितंबर 2015.

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 8, Issue 3, March 2021 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2021.0803010|

2. ↑ "कोल इण्डिया लिमिटेड का इतिहास एवं गठन". मूल से 10 जुलाई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 जून 2020.
3. World Energy Council – Survey of Energy Resources 2010. (PDF) . Retrieved on 24 अगस्त 2012.
4. ↑ Sherwood, Alan and Phillips, Jock. Coal and coal mining – Coal resources Archived 2010-11-27 at the Wayback Machine, Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand, updated 2009-03-02
5. ↑ "BP Statistical review of world energy 2012" (XLS). British Petroleum. मूल से 19 जून 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 अगस्त 2011.
6. ↑ EIA International Energy Annual – Total Coal Consumption (Thousand Short Tons) Archived 2016-02-09 at the Wayback Machine. Eia.gov. Retrieved on 2013-05-11.
7. दिलचस्प है भारत में कोयला खनन का इतिहास (मेरी खबर)
8. Coal Mine exploration and preservation
9. Abandoned Mine Research
10. Methods of mining - overview and graphic of coal mining methods
11. National Coal Mining Museum for England
12. NIOSH Coal Workers' Health Surveillance Program
13. Purdue University - Petroleum and Coal
14. University of Wollongong - educational resource on longwall mining
15. World Coal Institute - Coal Mining

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor:
7.580

doi crossref

निस्केयर
NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com

www.ijmrsetm.com